न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/220

1. सीताराम वयस्क पुत्र बजरंग लाल जाति मीणा निवासी बालापुरा ।
2. महावीर वयस्क पुत्र बजरंग लाल जाति मीणा निवासी बालापुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती भूली पत्नी महावीर मीणा निवीस बालापुरा
   2/2. अनिल पुत्र महावीर जाति मीणा अवयस्क जरिये स्वाभाविक संरक्षक एवं हितैषी माता श्रीमती भूली पत्नी महावीर मीणा बालपुरा ।
3. श्रीमती रामकिशनी पत्नी बजरंगा जी जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्री जगन्नाथ आत्मज अमरा जाति मीणा निवासी बालापुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती छोटी बाई पत्नी श्री जगन्नाथ जी जाति मीणा निवासी बालापुरा ।
   1/2. श्रीमती मांगीबाई पत्नी सोहन लाल पुत्री जगन्नाथ जी जाति मीणा निवीस बालापुरा की झौंपडियॉ तहसील के0 पाटन ।
2. जमनाशंकर आत्मज रामकल्याण मीणा निवासी बालापुरा ।
3. मुस0 राधेश बाई पत्नी रामचरण जाति मीणा निवासी बालापुरा ।
4. कमला बाई पुत्री बजरंगा जाति मीणा निवासी बालापुरा मृतक (नाम तर्क) ।
5. जानकी बाई पुत्री बजरंगा जी जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट मृतक जगन्नाथ ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 121 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 241/1 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 378 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 391 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 423 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 434 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 437 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 444 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 474 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 15 कुल रकबा 60 बीघा 11 भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया और वादग्रस्त आराजी में वादी को 20 बीघा 10 बिस्वा पर खातेदार घोषित करने एवं वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.1999 के द्वारा प्रतिवादी बजरंगा के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादी का वाद स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.07.2009 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन के सम्बन्ध में विभाजन प्रस्ताव पुनः तैयार करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2009 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की । न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2012 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2009 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पर अपना स्पष्ट निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिपेषित कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना में अपने निर्णय दिनांक 09.05.2013 के द्वारा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2013 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बजरंग लाल जी का देहान्त हो चुका था जिसकी जानकारी उनके भाई जगन्नाथ को थी फिर भी बजरंग लाल के कायममुकाम नहीं बनाये । बजरंगलाल जी मृत्यु के डेढ वर्ष पूर्व से काफी बीमार थे चलने –फिरने में असमर्थ थे इस कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके । बीमार होने के कारण उन्हें उक्त दावे का भी ध्यान नहीं रहा तथा उनके द्वारा उक्त मुकदमे की जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गई । श्री बजरंग लाल के वकील साहब ने भी कोई सूचना उन्हें नहीं दी । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई सूचना नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज करने में त्रुटि की है । खसरा नम्बर 90 की भूमि का विक्रय बजरंग लाल व जगन्नाथ दोनों के द्वारा किया गया था ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2013 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट की ओर से अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया था ओर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये है उनमें विक्रय पत्र दिनांक 20.06.92 एवं दिनांक 24.04.80 की एवं विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2006 की फोटो प्रति पेश की है । उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित हैं तथा निर्णय में सहायक दस्तावेज हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बजरंग लाल का देहान्त हो चुका था जिसकी जानकारी उनके भाई जगन्नाथ को थी फिर भी बजरंग लाल के कायममुकाम नहीं बनाये । बजरंगलाल जी मृत्यु के डेढ वर्ष पूर्व से काफी बीमार थे चलने –फिरने में असमर्थ थे इस कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके । बीमार होने के कारण उन्हें उक्त दावे का भी ध्यान नहीं रहा तथा उनके द्वारा उक्त मुकदमे की जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गई । श्री बजरंग लाल के वकील साहब ने भी कोई सूचना उन्हें नहीं दी । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई सूचना नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज करने में त्रुटि की है । खसरा नम्बर 90 की सम्पूर्ण भूमि बजरंग लाल जी द्वारा बेचान नहीं की है । श्री जगन्नाथ जी खसरा नम्बर 90 के सहखातेदार थे इस कारण बजरंग लाल अकेले इस आराजी का विक्रय नहीं कर सकते थे । आराजी दोनों के द्वारा विक्रय की गई है । इस कारण बेचान की गई आराजी हिस्से के अनुसार जगन्नाथ जी के हिस्से में से कम होना चाहिए । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2013 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 1992 पेज 643 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सन् 1999 में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई थी और एकपक्षीय डिक्री को सेट–असाईड कराने का प्रार्थना पत्र वर्ष 2006 में दिया गया था जो काफी विलम्ब से पेश किया था और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया था । जवाबदावा पेश करने के लिए काफी अवसर दिये गये थे परन्तु जवाबदावा पेश नहीं किया गया । वादग्रस्त आराजी बजरंग लाल ने ही बेचान की थी । रेस्पोडेन्ट का नाम खाते में दर्ज होने के आधार पर उनके हस्ताक्षर करवाए थे परन्तु सम्पूर्ण राशि बजरंग लाल ने ही ली थी । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है । अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने गुणावगुण के आधार पर भी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2013 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में 27.05.1999 को अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.06.1999 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की थी । अपीलान्ट के द्वारा एक तरफा डिक्री को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.07.2009 के द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज किया है ।

13. वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 बजरंग लाल और जगन्नाथ के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 90 की 12 बीघा आराजी केता के खाते में खसरा नम्बर 78 की 19 बीघा 08 बिस्वा भूमि केतागण के खाते में इंतकाल के आधार पर दर्ज की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.06.1999 में यह माना है कि खसरा नम्बर 90 की 10 बीघा 12 बिस्वा आराजी बजरंगलाल ने बेची है और इस आराजी से उनका रकबा कम किया है जबकि अपीलान्ट का यह कथन है कि यह आराजी दोनों सहखातेदारों ने संयुक्त रूप से बेचान की है अकेले बजरंगलाल ने नहीं बेची है । अपील की पत्रावली में जो विक्रय पत्र की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं उसमें विक्रय दिनांक 20.06.1992 के अनुसार खसरा नम्बर 90 की 10 बीघा 12 बिस्वा आराजी बजरंग लाल और जगन्नाथ ने जमुना शंकर पु. रामल्याण को विक्रय की है इस प्रकार जो विक्रय की फोटो प्रति पेश की है उसके अनुसार खसरा नम्बर 90 की 10 बीघा 12 बिस्वा आराजी बजरंग लाल और जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से बेची है अकेले बजरंगलाल ने नहीं बेची है । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्टगण को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.1999 व निर्णय अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी दिनांक 09.05.2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के अन्दर माह 06 निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा